कार्यालय केन्द्रीय नजारत सिविल कोर्ट बलिया ।

नीलामी नोटिस

सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि न्यायालय परिसर बलिया में स्थित 02 अदद पूड़ी मिठाई चाय नमकीन की दूकान, 01 अदद फोटोस्टेट की दूकान, तथा 01 अदद निगेटिव से फोटो बनाने की दूकान की नीलामी दिनाकं 20।03।2024 को किसी द्वारा बोली न लगाने के कारण नही हो सकी । उन दूकानों की पूर्व नियत सरकारी धनराशि के के अनुसार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार उपरोक्त वर्णित दूकानों की नीलामी हेतु दिनाकं 02।04।24 की तिथि नियत की जाती है । नीलामी दस कक्षीय न्यायालय भवन के केन्द्रीय सभागार कक्ष में सायं 4.00 बजे से **खुली बोली के** आधार पर की जायेगी । अतएव जिन महानुभाव को उक्त दूकानों की नीलामी लेनी हो वह **नियत दिनाकं 02।04।2024** को केन्द्रीय सभागार कक्ष में समय से उपस्थित आकर नीलामी में भाग लेकर नीलामी ले सकते हैं ।

बोली लगाने की शर्तें

1 उपरोक्त वर्णित दूकानों की नीलामी वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिनाकं 01।04।24 से 31।3।25 के लिये की जानी है । वित्तीय वर्ष 2023-24 में नीलाम दूकान की धनराशि सरकारी धनराशि होगी तथा जो दूकान वित्तीय वर्ष 2023-24 में नीलाम नही हुई हैं उसका वित्तीय वर्ष 2022-23 के नीलामी धनराशि सरकारी बोली मानी जायेगी ।

2 प्रत्येक बोलीकर्ता को जमानत धनराशि के रूप में वित्तीय वर्ष 2024-25 के नीलामी धनराशि का 1/4 भाग बतौर जमानत बोली लगाने हेतु जमा करना होगा तथा जिन दूकानों की नीलामी उक्त वित्तीय वर्ष में नही हुई है, उनके लिये वित्तीय वर्ष 2022-23 के नीलामी धनराशि का 1/4 भाग बतौर जमानत बोली लगाने हेतु जमा करना होगा तभी वह नीलामी में भाग ले सकता है ।

3 जिस व्यक्ति की बोली सबसे अधिक होगी नीलामी की कार्यवाही उसके पक्ष में सम्पादित की जायेगी ।

4 प्रत्येक बोली कर्ता अपने 2 बोली से बाध्य होगा । भले ही वह ऊँची या नीची हो । यह भली भाँति समझना चाहिए कि नीलामी की राशि माफी पर किसी भी दशा में विचार नही किया जा सकता है ।

5 प्रत्येक बोली कर्ता अपने अपने आधार कार्ड की स्व प्रमाणित छायप्रति दाखिल करना अनिवार्य होगा तथा मूल साथ लाना होगा ।

6 माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को अधिकार होगा कि किसी भी टेण्डर को बिना कारण बताये निरस्त कर सकते है तथा अपरिहार्य परिस्थिति में दूकान का स्थान बदल सकते हैं । इसमें किसी को कोई एतराज नही होगा ।

7 नीलाम प्राप्तकर्ता को नीलाम की धनराशि 4 बराबर किश्तों में पहली किश्त माह अप्रैल-2024, दूसरी किश्त माह जुलाई, तीसरी किश्त माह अक्टूबर तथा चौथी किश्त माह जनवरी 2025 में जमा करना होगा । कोई भी धनराशि बकाया रह जाने पर उसकी वसूली भू राजस्व के बकाये के रूप में की जायेगी ।

8 नोटिस वास्ते अनुमोदन माननीय जिला जज महोदय के समक्ष प्रस्तुत हो ।

22.3.24

अध्यक्ष

नीलाम समिति/ अपर जिला जज

कोर्ट सं0 3 बलिया ।

प्रतिलिपि निम्नांकित स्थानों पर चस्पा किये जाने हेतु

1 माननीय जनपद न्यायाधीश बलिया के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।

2 जिलाधिकारी बलिया के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।

3 जिला पंचायत परिषद/नगर पालिका परिषद के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।

4 लो0नि0वि0 बालिया के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।

5 जिला जज बलिया के बवसाईड पर अपलोड किये जाने हेतु ।

6 स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु।

22.3.24

अध्यक्ष

नीलाम समिति / अपर जिला जज

कोर्ट सं0 3 बलिया ।